राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर
दूरभाष नं. 0141–2227736, ई–मेल–ddagr.ext.agri@rajasthan.gov.in

क्रमांक एफ 5(4) कृ.प्र./21/2026–27/597-775 दिनांक–05/05/2026

संयुक्त निदेशक कृषि,
जिला परिषद समस्त ....।

विषयः–राज्य योजनान्तर्गत वर्ष 2026–27 में कृषि विषय में अध्ययनरत छात्राओं को देय प्रोत्साहन राशि कार्यक्रम के दिशा–निर्देश।

1. **योजना का विवरणः–** कृषि के क्षेत्र में छात्राओं का रूझान बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि विषय लेकर अध्ययनरत 10+2 (सीनियर सैकण्डरी कृषि), स्नातक व स्नातकोत्तर एवं पी.एच.डी. कोर्स में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान हैं।
2. **पात्रताः–**
   - कृषि विषय लेकर अध्ययनरत छात्राओं को देय प्रोत्साहन राशि कार्यक्रम अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि का भुगतान **केवल राजस्थान की मूल निवासी** ऐसी छात्राओं को किया जावेगा जो राजकीय एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत होंगी।
   - अध्ययनरत छात्रा के प्रवेश का प्रकार (Payment/Non payment) का संबंध कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि से नहीं है।
   - **गत वर्ष में अनुत्तीर्ण छात्राओं को पुनः उसी कक्षा में प्रवेश लेने पर प्रोत्साहन राशि देय नहीं होगी।**
   - जिन छात्राओं ने श्रेणी सुधार हेतु उसी कक्षा में पुनः प्रवेश लिया हो, को भी प्रोत्साहन राशि देय नहीं होगी।
   - सत्र के मध्य विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय छोड़कर जाने वाली छात्राओं को भी प्रोत्साहन राशि का भुगतान देय नहीं होगा।

3. **वित्तीय प्रावधानः–**
   - कृषि विषय लेकर सीनियर सैकेण्डरी (10+2) में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि रूपये 1**5,000/–** प्रतिवर्ष की दर से 11 वीं एवं 12 वीं कक्षा हेतु देने का प्रावधान है।
   - कृषि स्नातक शिक्षा जैसे उद्यानिकी, डेयरी, कृषि अभियांत्रिकी, खाद्य प्रसंस्करण आदि में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि रूपये **25,000/–** प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु तथा श्री कर्ण नरेन्द्र व्यवसाय प्रबन्धन महाविद्यालय, जोबनेर में बी. एस. सी (कृषि) व एमबीए एग्री बिजनेस में अध्ययनरत छात्राओं को भी रू. **25,000**/– प्रतिवर्ष पंचवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु देने का प्रावधान है।

Signature valid
Digitally signed by N[illegible]sh Kumar Goyal
Designation : [illegible]missioner
Date: 2026.05.[illegible] [illegible]1:39:36 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21881294
M e-Sign

X:\DigiGOV\Rajasthan\FileSystemDMSStore\DigiGOV\Intranet\PDF\21881294_6876382262[illegible]

- कृषि स्नातकोत्तर शिक्षा (एम.एस.सी. कृषि) में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि रूपये **25,000/–** राशि प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु देने का प्रावधान है।
- कृषि विषय में पी.एच.डी. कोर्स में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि रूपये **40,000/–** प्रतिवर्ष अधिकतम 3 वर्ष हेतु देने का प्रावधान है।

4. आवेदन प्रकियाः–

- **योजनान्तर्गत प्रोत्साहन राशि हेतु आवेदन करने के लिये छात्रा द्वारा ई–मित्र के माध्यम से या छात्रा की स्वयं की एसएसओ आई.डी. से राज किसान साथी पोर्टल पर ऑन लाइन संबंधित जिले के संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद् को करना होगा।**
- **संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद् कार्यालय द्वारा आन–लाईन प्राप्त आवेदनों का** भलीभांति परीक्षण/जांच करने के उपरान्त ही आवेदनों को ई–साईन सर्टिफिकेट जारी किये जाने हेतु संबंधित संस्था प्रधान यानी विद्यालय या महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों को अग्रेषित करावें।
- **छात्रा जिस कक्षा में अध्ययन कर रही है उसके लिये संबंधित संस्था प्रधान द्वारा प्रमाण पत्र दिये जाने के लिये कृषि संकाय वाले जिले के नवीन पंजीकृत राजकीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों एवं महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयो को अपना पंजीकरण राज किसान साथी पोर्टल (http://rajkisan.rajasthan.gov.in) पर संस्था के अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जावेगा। संबंधित संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद द्वारा इसका अनुमोदन किया जायेगा।**
- **राज किसान साथी पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद संबंधित संस्था प्रधान द्वारा आवेदनों की जांच कर उनके द्वारा एक प्रमाण पत्र (ई– साईन सर्टिफिकेट) जारी किया जायेगा कि छात्रा किस कक्षा में अध्ययनरत है तथा छात्रा द्वारा उसी कक्षा में पुनः प्रवेश नहीं लिया गया है तथा छात्रा अनुत्तीर्ण नहीं हुई है। इस आशय का प्रमाण पत्र संस्था द्वारा ऑनलाइन ही जारी किया जायेगा।**
- **योजनान्तर्गत संबंधित संस्था प्रधानों द्वारा आवेदक छात्राओं के दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण/जांच उपरान्त ही ई–साईन सर्टिफिकेट जारी किया जावें। छात्राओं के गलत आवेदनों पर ई–साइन सर्टिफिकेट जारी किये जाने पर संबंधित संस्था प्रधान स्वंय उत्तरदायी होगें।**
- जिन छात्राओं का ऑनलाइन पंजीयन हो चुका है, परन्तु गत वित्तीय वर्ष में प्रोत्साहन राशि का भुगतान किन्हीं कारणों से नहीं किया जा सका था ऐसी छात्राओं को वर्तमान वित्तीय वर्ष में गत वित्तीय वर्ष के प्रावधानों के अनुरूप ही प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा।

Signature valid
Digitally signed by N[...]sh Kumar Goyal
Designation [...]missioner
Date: 2026.05.[...]1:39:36 IST
Reason: Approved

- जिला अधिकारी यह सुनिश्चित करावें कि छात्राओं द्वारा जिस वित्तीय वर्ष में प्रोत्साहन राशि हेतु आवेदन किया गया हैं, संस्था प्रधान द्वारा उसी वित्तीय वर्ष में ई–साईन सर्टिफिकेट जारी किया जावें। उसी वित्तीय वर्ष में संस्था प्रधान द्वारा ई–साईन सर्टिफिकेट जारी नहीं किये जाने पर छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देय नहीं होगी जिसके लिये संस्था प्रधान स्वयं उत्तरदायी होंगे।

5. **आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि:– दिनांक 31 जनवरी, 2027**
6. **ऑनलाईन आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज :–**
   - **गत वर्ष की अंकतालिका**
   - **राजस्थान का मूल निवासी प्रमाण पत्र**
7. **प्रोत्साहन राशि कार्यक्रम अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के निस्तारण हेतु समयावधि निम्न प्रकार से है:–**

अनुदान स्वीकृति प्रकिया चरण	पूर्व चरण के पश्चात अधिकतम समयावधि	उतरदायी कार्मिक / व्यक्ति
प्रोत्साहन राशि हेतु आवेदन प्राप्ति	दिनांक 31 जनवरी 2027 तक	कृषि अधिकारी (योजना प्रभारी)
दस्तावेजों की जांच एवं संबंधित संस्था प्रधान को अग्रेषित	15 दिन	कृषि अधिकारी (योजना प्रभारी)
संस्था प्रधान द्वारा (ई– साईन सर्टिफिकेट) जारी	07 दिन	संबंधित संस्था प्रधान
ई– साईन सर्टिफिकेट की जांच	05 दिन	कृषि अधिकारी (योजना प्रभारी)
वित्तीय स्वीकृति	05 दिन	संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद्

8. उक्त योजना के प्रचार–प्रसार के लिए संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद एवं अधीनस्थ विभागीय अधिकारी / कार्मिक समुचित प्रयास करेंगे।
9. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद यथासम्भव 10 फरवरी, 2027 तक संबंधित छात्राओं को भुगतान की समस्त कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

उक्त दिशा–निर्देशानुसार कार्यक्रम का क्रियान्वयन कराते हुये मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से आयुक्तालय को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

(नरेश कुमार गोयल)
आयुक्त कृषि

Signature valid
Digitally signed by Naresh Kumar Goyal
Designation : Commissioner
Date: 2026.05.0 1:39:36 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर
दूरभाष नं. 0141–2227736, ई–मेल–ddagr.ext.agri@rajasthan.gov.in

कमांक एफ 5(4) कृ.प्र./21/2026–27/597-775 **दिनांक–**

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी राजस्थान–जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त उद्यानिकी, उद्यान विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल, जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ कृषि संकाय वाले निजी/सरकारी शैक्षणिक संस्थानो को निर्देशित करावें कि योजनान्तर्गत छात्राओं के प्राप्त ऑन–लाईन आवेदनों का भलीभाँति परीक्षण/जांच उपरान्त ही ऑन–लाईन ई–साईन सर्टिफिकेट जारी किये जावें।
5. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ कृषि संकाय वाले निजी/सरकारी शैक्षणिक संस्थानो को निर्देशित करावें कि योजनान्तर्गत छात्राओं के प्राप्त ऑन–लाईन आवेदनों का भलीभाँति परीक्षण/जांच उपरान्त ही ऑन–लाईन ई–साईन सर्टिफिकेट जारी किये जावें।
6. निजी सचिव, निदेशक, गोपालन/पशुपालन/मत्स्य पालन, राजस्थान–जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर————————————।
8. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ....।
9. निदेशक, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा जयपुर।
10. निदेशक समेती (आत्मा), दुर्गापुरा जयपुर।
11. अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार/आदान/अनुसंधान/प्रशासन) मुख्यालय जयपुर।
12. समस्त खण्डीय अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार/तिलहन) ....।
13. समस्त शाखा प्रभारी मुख्यालय जयपुर।
14. उप निदेशक कृषि (विस्तार) आईजीएनपी बीकानेर/परियोजना निदेशक सी.ए.डी. कोटा।
15. एसीपी, मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
16. समस्त सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), उप जिला................................।
17. समस्त जिला विस्तार अधिकारी...................................।

आयुक्त कृषि

Signature valid
Digitally signed by N[illegible]sh Kumar Goyal
Designation : [illegible]missioner
Date: 2026.05.[illegible]1:39:36 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21881294
M e-Sign